संख्या- 75/3054/41-14-99 यो0/2013

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 13 दिसम्बर, 2014**

विषय: <u>विश्व बैंक सहायतित् प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट की योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर स्थानीय रोजगार में वृद्धि करके गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्त किये जाने के उदेद्श्य हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से **'प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट'** का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विश्व बैंक के सहयोग से पर्यटक स्थलों पर स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा पर्यटन से जुड़े हुए सभी लोगों के आर्थिक विकास होगा।

2- इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित दो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों, यथा-बुध्दिस्ट सर्किट तथा ब्रज-आगरा कॉरीडोर का चयन किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:-

(क) चयनित पर्यटन स्थलों पर विभिन्न मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना तथा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाकर आने वाले पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाना।

(ख) चयनित क्षेत्रों के टूरिज्म प्रमोशन, ब्रैडिंग एवं सुनियोजित प्रचार-प्रसार हेतु विश्व-स्तरीय रणनीति तैयार कर प्रचार-प्रसार करना।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के द्वारा किये जाने वाले व्यय के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाना।

(घ) पर्यटन व्यवसाय के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले असंगठित एवं गरीब सेवा-प्रदाताओं को बेहतर दक्षता-विकास/कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से पर्यटन व्यवसाय में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देना तथा उनकी आय में वृद्धि करना।

(ड़) स्थानीय हस्तशिल्प कला/हैण्डीक्राफ्ट तथा स्थानीय सोविनियर आदि को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र से जुड़े हुये असंगठित एवं गरीब लोगों को यथोचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास आदि की सुविधा प्रदान करना।

3- उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस निमित्त शासनादेश सं0-2784/41-2013-99 यो0/13, दिनांक-11.10.13 निर्गत किया गया है।

4- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रो-पुअर परियोजना की समुचित प्लानिंग, सुपरवीजन एवं मॉनीटरिंग हेतु निम्नानुसार त्रि-स्तरीय ढॉचा, गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) <u>इम्पावर्ड कमेटी</u>- इस कमेटी की संरचना निम्नवत् है:-

पद	**अधिकारी का नाम**
अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
उपाध्यक्ष	अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वन
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, बाहय सहायतित परियोजना विभाग
सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति
विशेष आमंत्री	आयुक्त, आगरा मण्डल, वाराणसी मण्डल, गोरखपुर मण्डल, देवीपाटन मण्डल
सदस्य/संयोजक	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>इम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख कार्य:-</u>

- सभी नीतिगत निर्णय इम्पावर्ड कमेटी द्वारा लिये जायेंगे।
- स्टेट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन युनिट तथा टेक्निकल सपोर्ट युनिट्स के गठन तथा स्टाफिंग पैटर्न को निर्धारित करना।
- परियोजना के लिये वार्षिक कार्य योजना तथा वित्तीय प्रस्ताव/बजट आदि को स्वीकृत/समीक्षा करना।
- परियोजना के लिये विशेष सेवाओं एवं विशिष्ट कार्यो हेतु आई0सी0बी0/एन0सी0बी0 के आधार पर कन्सलटेन्ट/कन्सलटिंग फर्म को हायर करने हेतु स्वीकृति प्रदान करना।
- अन्य विषयों पर नीतिगत निर्णय, जोकि स्टीयरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर संदर्भित किये जायें।
- त्रैमासिक प्रगति समीक्षा करना।
- इम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य पदेन होंगे एवं स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से परिवर्ततन की दशा में नवनियुक्त अधिकारी स्वत: सदस्य हो जायेंगे।

(क) **<u>स्टीयरिंग कमेटी-</u>** इस समिति की संरचना निम्नवत् है:-

पद	अधिकारी का नाम
अध्यक्ष	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग
सदस्य	सचिव/विशेष सचिव, वाह्य सहायतित् परियोजना विभाग
सदस्य	सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग
सदस्य /संयोजक	महानिदेशक पर्यटन/चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर

स्टीयरिंग कमेटी के प्रमुख कार्य:-

- एस0पी0सी0यू0 के कार्य योजना/प्रस्तवों का परीक्षण कर इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना।
- प्रोजेक्ट की फास्ट-ट्रैक एवं सतत् मानीटरिंग करना।
- इम्पावर्ड कमेटी के निर्णयार्थ कार्य सूची/विषय सूची तैयार कर प्रस्तुत करना।
- मासिक प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह करना। स्टीयरिंग कमेटी द्वारा परियोजना के कार्यो की गुणवत्ता, बेंचमार्क्स, टाइमलाइन एवं परफार्मेन्स आदि की

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिमाह गहन समीक्षा की जायेगी और तद्नुसार अपनी आख्या एवं संस्तुति इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत करना।

- उपरोक्त कार्यो में स्टीयरिंग कमेटी की सहायता हेतु प्रतिष्ठित संस्था को एस0पी0सी0यू0 के माध्यम से योजित करना।
- परियोजना के लिये वित्तीय प्रस्ताव/बजट आदि के परीक्षणोपरान्त एम्पावर्ड कमेटी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
- स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य पदेन होंगे एवं स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से परिवर्तन की दशा में नवनियुक्त अधिकारी स्वतः सदस्य हो जायेंगे।

(ग) स्टेट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन युनिट (एस0पी0सी0यू0):-

इस कमेटी की संरचना निम्नवत् है:-

अधिकारी का नाम	**पद**
महानिदेशक पर्यटन	चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर
प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, जो इकोनॉमिक्स/फाइनेन्स अथवा मैनेजमेन्ट बैंकग्राउण्ड के हों अथवा जिसे वाह्य सहायतित् परियोजनाओं में कार्य करने का पूर्व अनुभव हो।	एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर (ए0सी0पी0डी0)
पर्यटन विभाग के नामित अधिकारी	प्रोजेक्ट डायरेक्टर
वित्त नियंत्रक, पर्यटन विभाग	वित्त नियंत्रक
लेखाकार/कम्प्यूटर ऑपरेटर/आई0टी0 एवं ब्रैन्डिंग विशेषज्ञ/आफिस असिसटेन्ट/स्टोर कीपर/अन्य सपोर्टिंग स्टॉफ	संविदा पर अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ (मिरर टीम)	विशेषज्ञ सदस्य-संविदा पर अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से
उपरोक्त के अतिरिक्त महानिदेशक, पर्यटन/चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों को इसमें योजित किया जा सकेगा।	

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>स्टेट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट (एस0पी0सी0यू0) के प्रमुख कार्य:-</u>

- प्रोजेक्ट के प्रधान सचिवालय अथवा कार्यालय के रूप में एस0पी0सी0यू0 कार्य करेगा। इसका कार्यालय लखनऊ में होगा। एस0पी0सी0यू0 द्वारा कार्यालय के सपोर्टिंग स्टाफ को आउटसोर्सिंग के माध्यम से योजित/अनुबन्धित किया जायेगा।
- इम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव/कार्यसूची तैयार कर उपलब्ध कराना।
- परियोजना के लिये विशेष सेवाओं एवं विशिष्ट कार्यो हेतु आई0सी0बी0/एन0सी0बी0 के आधार पर कन्सल्टेन्ट/कन्सलटिंग फर्म को हायर किया जाना।
- प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण सामग्री के प्रकाशन का कार्य करना।
- एस0पी0सी0यू0 के समस्त वार्षिक कार्य योजना/प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन को स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना।
- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित होने वाले टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स की मासिक प्रगति की समीक्षा करना। परियोजना के कार्यो की गुणवत्ता, बेंचमार्क्स, टाइमलाइन एवं परफर्मेन्स आदि की प्रतिमाह गहन समीक्षा करना। मॉनीटरिंग हेतु आधुनिक तौर-तरीकों, तकनीक एवं आई0टी0 आदि का प्रयोग करना।
- क्षेत्रीय स्तर पर परियोना के तकनीकी सलाह/पर्यवेक्षण हेतु टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की व्यवस्था हेतु एम्पावर्ड कमेटी से अनुमति प्राप्त करना।
- एस0पी0सी0यू0 की बैठक माह में एक बार अवश्य आहूत की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है।
- एस0पी0सी0यू0 के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं सभी सदस्य पदेन होंगे एवं स्थानान्तरण एवं अन्य कारणों से परिवर्तन की दशा में नवनियुक्त अधिकारी स्वत: सदस्य हो जायेंगे।

5- क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण हेतु टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का गठन आगरा, मथुरा, सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती में सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में किया जाना प्रस्तावित है। टी0एस0यू0 के गठन हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

एम्पावर्ड कमेटी अधिकृत होगी। इस हेतु एस0पी0सी0यू0 द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के समय आवश्यकतानुसार टी0एस0यू0 के गठन का प्रस्ताव स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से एम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6- इस परियोजना (प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट परियोजना) के एस0पी0सी0यू0 में विश्व बैंक के अपेक्षानुसार निम्नलिखित विशेषज्ञों को परियोजना की आवश्यकतानुसार निर्धारित समय के लिए हायर-बेसिस पर योजित/अनुबन्धित किया जाना प्रस्तावित है-

क्र0सं0	पद
1	टूरिज्म स्पेशलिस्ट
2	मानिटरिंग एण्ड इवैलुएशन स्पेशलिस्ट
3	प्राईवेट सेक्टर डेवलपमेण्ट स्पेशलिस्ट
4	इनवायरमेण्टल स्पेशलिस्ट
5	सोशल डेवलपमेण्ट स्पेशलिस्ट
6	फाइनेन्शियल मैनेजमेण्ट स्पेशलिस्ट
7	डेवलपमेण्ट प्लानर
8	प्रोक्योरमेण्ट स्पेशलिस्ट
9	इन्फार्मेशन एण्ड ब्रैन्डिंग स्पेशलिस्ट
10	आई0टी0 सेक्टर स्पेशलिस्ट

विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त विशेषज्ञों को विश्व बैंक की गाइडलाइन्स के अनुसार अनुबन्धित किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर शासनादेश संख्या-जी-1-142/10-2011-204/1999, दिनांक-26.05.2014 के अनुसार ही प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जायेगा। संविदा पर 10,000 ग्रेड पे प्लस एच0आर0ए0 प्लस सी0सी0ए0 के कुल योग को नियत करके परिलब्धियॉ अनुमन्य होंगी। ई0ओ0आई0/बिड प्रक्रिया के माध्यम से योजित किये जाने पर उनकी परिलब्धियॉ टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड के आधार पर नियमानुसार न्यूनतम दर पर नियत की जायेंगी। उपरोक्त विशेषज्ञों को प्रतिष्ठित कन्सल्टेन्सी फर्मो के माध्यम से अथवा पृथक से विषय-विशेषज्ञ के रूप में योजित किया जा सकेगा। एस0पी0सी0यू0 के अन्य लोअर सपोर्टिंग स्टॉफ की परिलब्धियॉ तथा सेवा शर्ते एस0पी0सी0यू0 के द्वारा स्वयं निर्धारित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस परियोजना के कार्यो का क्रियान्वयन सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कार्योपरान्त सृजित परिसम्पत्तियों का दीर्घकालिक अनुरक्षण एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा विहित कार्यदायी संस्था के रूप में विकास प्राधिकरणों को चिन्हित नहीं किया गया है। अत- इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करते हुये रू0-10.00 करोड़ से अधिक के कार्य कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

8- योजना के कार्यक्षेत्र में प्रमुखत: आगरा, मथुरा, सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती सम्मिलित हैं। श्रावस्ती को छोड़कर अन्य स्थलों पर विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपलब्ध हैं, किन्तु श्रावस्ती में कोई विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नहीं है। श्रावस्ती में पर्यटन की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के निर्माण के लिये उ0प्र0 आवास विकास परिषद को कंस्ट्रक्शन एजेन्सी के रूप में कार्य करने हेतु चयनित कर लिया जाये। आवास विकास परिषद राज्य सरकार की एक प्रीमियम कन्स्ट्रक्शन एजेन्सी है, और बहुत से सरकारी विभागों का डिपाजिट कार्य पूरी गुणवत्त के साथ इनके द्वारा किया जा रहा है। अत: यह कार्य आवास विकास परिषद को कंस्ट्रक्शन एजेन्सी के रूप में दिया जाना उचित रहेगा। पर्यटन के कार्यो के लिये डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में जो समिति गठित है, वह इन कार्यो की मानीटरिंग आदि करेगी।

9- 300 मिलियन यू0एस0 डालर की इस परियोजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा 210 मिलियन यू0एस0 डालर का ऋण भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत 90 मिलियन यू0एस0 डालर के समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

10- परियोजना हेतु राज्य सरकार के द्वारा विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार धनराशि का प्राविधान स्वीकृत किया जायेगा। परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित कराया जायेगा तथा परियोजना के अन्तर्गत लोन-फानेन्सिंग एवं री-इम्बर्समेन्ट आदि की कार्यवाही विश्व बैंक की गाइड लाइन एवं लोन-ऐग्रीमेन्ट के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(अमृत अभिजात)
सचिव

संख्या- 75/3054 (2)/41-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, आर्थिक कार्य मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, न्याय, वित्त, आवास एवं शहरी नियोजन, नियुक्ति, नियोजन, एवं वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in